

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४७ का विवर १२१)

आदेश पत्रक - ता०..... से..... तक

जिला....., सं०....., सं०....., सं०....., सं०....., सं०.....

केस का प्रकार.....

आदेश की त्रै संख्या किस तारीख 9	आदेश और पटाखिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई ³ कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-दरहित																
	आयुवत न्यायालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा • आबिट्रिशन वाद संख्या:- 15/2021 मसो० दुलारी देवी व अन्य.....आवेदनकर्ता -बनाम- राज्य.....रेसपॉण्डेन्ट -::: आदेश ::- <p>प्रस्तुत आबिट्रिशन वाद मसो० दुलारी देवी, पति-स्व० चन्द्रेश्वरी यादव व रामनरेश यादव उर्फ नरेश यादव, पिता-स्व० दुखा यादव, सभी सा०-मनौरी, थाना+पो०-सोनवर्षा राज, जिला-सहरसा के द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-107 (महेशखुट- सोनवर्षा राज- सहरसा- मधेपुरा- पूर्णियाँ खण्ड) के किलोमीटर 30.150 से किलोमीटर 83.750 तक) हेतु अधिग्रहित उनकी निम्न वर्णित भूमि का किरम “कृषि” निर्धारित करते हुए वाद सं०- 05/2014-15, पंचाट संख्या-137 के तहत सूचित मुआवजा के विरुद्ध दायर किया गया है :-</p> <p>वादगत भूमि का विवरण निम्न है :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा/थाना नं०</th><th>खाता सं०(पु०)</th><th>छेसरा सं०(पु०)</th><th>किस्म</th><th>दर प्रति एकड़</th><th>रकवा (ए०)</th><th>मुआवजा</th><th>अभ्युक्ति</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>मनौरी/10</td><td>215</td><td>372</td><td>कृषि</td><td>8,58,465</td><td>0.0580</td><td>2,20,036</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>अपीलार्थी की ओर से दायित वादपत्र में उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा पंचाट सं०-136 एवं 137 से संसूचित मुआवजा राशि के विरुद्ध तथ्य रखा गया है किन्तु वादपत्र के साथ मात्र पंचाट सं०-137 संलग्न किया गया है। उक्त के आलोक में पंचाट सं०-137 में वर्णित उपरोक्त भूमि के किस्म एवं मुआवजा राशि के संबंध में प्रस्तुत वाद में विचारण कर आदेश पारित किया जा रहा है।</p> <p>उपरोक्त वर्णित भूमि के संबंध में आवेदकगण का कहना है</p>	मौजा/थाना नं०	खाता सं०(पु०)	छेसरा सं०(पु०)	किस्म	दर प्रति एकड़	रकवा (ए०)	मुआवजा	अभ्युक्ति	मनौरी/10	215	372	कृषि	8,58,465	0.0580	2,20,036		
मौजा/थाना नं०	खाता सं०(पु०)	छेसरा सं०(पु०)	किस्म	दर प्रति एकड़	रकवा (ए०)	मुआवजा	अभ्युक्ति											
मनौरी/10	215	372	कृषि	8,58,465	0.0580	2,20,036												

कि उक्त भूमि उन्हें बजारिये केवला प्राप्त है तथा तत्पश्चात दाखिल-खारिज कर जमाबंदी कायम होने के उपरान्त वे उसका लगान रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं। उनकी भूमि मनौरी मौजा में सोनवर्षा राज विराटपुर (राजकीय उच्च पथ) के किनारे अवस्थित है तथा वे उस पर अपना पक्का छतदार मकान बनाकर आवास हेतु तथा एक फूस का छप्पर देकर मवेशियों के रख-रखाव बनाकर आवास हेतु तथा एक फूस का छप्पर देकर मवेशियों के रख-रखाव हेतु स्वयं व्यवहार करते हैं। उक्त खेसरा मनौरी गाँव के सघन आबादी के हेतु स्वयं व्यवहार करते हैं। उक्त खेसरा मनौरी गाँव के सघन आबादी के बीच में है। NH-107 के निर्माण हेतु उक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए बीच में है। NH-107 के निर्माण हेतु उक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए धारा-3G (3 एवं 4) के तहत दिनांक 03.09.2016 को प्रकाशित विज्ञापन में भूमि की किस्म / प्रकृति “आवासीय” दर्शाया गया, किन्तु पंचाट में भूमि की किस्म / प्रकृति “आवासीय” दर्शाया गया, किन्तु पंचाट में सं-0-137 के तहत मुआवजा पाने हेतु निर्गत नोटिस में भूमि का किस्म / प्रकृति “कृषि” निर्धारित करते हुए मात्र 8,584.65 रु० प्रति डिसमिल की दर से प्रतिकर की गणना कर 2,20,036 रु० का मुआवजा निर्धारित किया गया, जो बहुत ही कम है। प्रार्थीगण का कहना है कि मौजा-मनौरी/10 में अवस्थित “आवासीय” किस्म की जमीन का मूल्य 1,10,000/-रु० प्रति डिसमिल तय है। तदनुसार गणना तालिका संलग्न करते हुए उनके द्वारा 94,04,500 रु० प्रतिकर का दावा किया गया है तथा उक्त भुगतेय धारा-31(4) के शिड्यूल-2 के प्रावधानानुसार उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।


जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि NH Act-1956 की धारा 3A के तहत दिनांक 06.05.2015 को प्रकाशित अधिसूचना में वादगत खेसरा-372 का किस्म / प्रकृति “आवासीय” दर्ज है तथा धारा-3D के तहत दिनांक 02.05.2016 में भी किस्म / प्रकृति “आवासीय” दर्ज है। समाहर्ता, सहरसा के पत्रांक 414-2/भू० अ० दिनांक 17.08.2018 द्वारा गठित उचित प्रतिकर, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति द्वारा मौजा-मनौरी/10 अन्तर्गत स्थल निरीक्षणोपरान्त समर्पित प्रतिवेदन में भूमि का किस्म / प्रकृति “कृषि” प्रतिवेदित किया गया तथा अभ्युक्त कॉलम में “वर्तमान में इस खेसरा का आवासीय प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया जा रहा है” अंकित है। उक्त के आलोक में विहित रीति से मूल्य की गणना कर NH Act- 1956 की धारा 3G के तहत मौजा-मनौरी/10 के अंकित खेसरों का संशोधित प्राक्कलन दिनांक 06.09.2018 को NHAI से स्वीकृति हेतु भेजा गया तथा NHAI से स्वीकृत्योपरान्त

पंचाट तैयार कर ऐयतों को मुआवजा प्राप्त करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। आवेदक के द्वारा समर्पित आपत्ति आवेदन के आलोक छः सदस्यीय उचित प्रतिकर पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति द्वारा पुनः स्थल जाँचोपरान्त समर्पित प्रतिवेदन में वर्णित खेसरा का का किस्म / प्रकृति “कृषि” दर्ज है। रिवीजन सर्वे खतियान में भी मौजा-मनौरी/10 खाता-215, खेसरा-372 का किरम “धनहर-2” दर्ज है। तदालोक में उनके द्वारा किस्म परिवर्तन एवं तदनुसार मुआवजा भुगतान से संबंधित आवेदक द्वारा दायर वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

राष्ट्रीय उच्च पथ की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल जबाब में बताया गया है कि प्रश्नगत वाद में आवेदक द्वारा NHAI को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादगत भूमि की किस्म / प्रकृति धारा-3A गजट अधिखूचना में “आवासीय” प्रकाशित किया गया, किन्तु छः सदस्यीय समिति द्वारा स्थल जाँच में भूमि का स्वरूप “कृषि” प्रतिवेदित किया गया। उनका कहना है कि अधिग्रहण के समय प्रश्नगत भूमि का स्वरूप पूर्णतया “कृषि” था। तदालोक में बाजार मूल्य के आधार पर अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर की नियमानुसार गणना कर मुआवजा भुगतान हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उनका कहना है कि आवेदक द्वारा अपने अधिग्रहित भूमि का किस्म “आवासीय” होने के संबंध में न तो छः सदस्यीय समिति के समक्ष किसी प्रकार का साक्ष्य रखा गया और न ही इस व्यायालय में। तदालोक में आवेदक के द्वारा काल्पनिक रूप से किये गये किस्म परिवर्तन तथा मुआवजा पुनरीक्षण के दावा को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।


आवेदकगण का पक्ष सुनने, अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकनोपरान्त यह स्पष्ट है कि RFCLARR Act-2013 की धारा-23 के अनुसार जिला स्तरीय छः सदस्यीय समिति द्वारा स्थल निरीक्षण में अर्जनाधीन प्रश्नगत भूमि सोनवर्षा बाईपास हेतु अधिग्रहित किया गया तथा उसका स्वरूप “कृषि” है। उक्त भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण RFCLARR Act- 2013 की धारा- 26(i)(b) में वर्णित प्रावधान के आलोक में कृषि श्रेणी की भूमि के विक्रय पत्र के आधार पर समाहर्ता, सहरसा की अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन समिति के द्वारा निर्धारित दर से सक्षम प्राधिकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा द्वारा मुआवजा का निर्धारण किया गया है, जो नियमानुकूल है। स्पष्टतः यह भूमि अधिग्रहण के समय कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाया जा रहा था तथा उक्त भूमि का वर्तमान स्वरूप लगभग वैसा ही है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित स्थिति में इस मामले में समाहर्ता, सहरसा की अध्यक्षता में गठित छः सदस्यीय समिति द्वारा जाँचोपरान्त “कृषि” श्रेणी की भूमि के रूप में प्रतिकर निर्धारित करते हैं।

हुए मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है, जिसे पुनरीक्षित करने का कोई आधार एवं औचित्य नहीं है। इसी के साथ आवेदक के दावा को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें।


आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं संशोधित।


आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा।

व्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक३८५ /विधि

सहरसा, दिनांक.....५-१-२०२४

प्रतिलिपि:- समाहर्ता / जिला भू-अजन पदाधिकारी, सहरसा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आबिद्रिशन वाद सं0-15/2021 में दिनांक-04.01.2024 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

अनुलग्नक :-यथोपरि।

प्रतिलिपि:- परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, बेगूसराय द्वारा अधिवक्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मसो० दुलारी देवी, पति-स्व० चन्द्रेश्वरी यादव व रामनरेश यादव उर्फ नरेश यादव, पिता-स्व० दुखा यादव, सा०-मनौरी, थाना+पो०-सोनवर्षा राज, जिला-सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।


प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।